

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,**
**ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।**
**अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)**

पत्रांक 2901 वाद संख्या सी–618/ सैक्टर–1/2026 दिनांक 27/10 2026

सेवा में,

श्री मयंक डोभाल,
देहराखास, निकट पथरी बाग चौक,
देहरादून।

कृपया आपके द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूतल पर लगभग 25 गुणा 15 फिट क्षेत्र में 02 दुकानें का निर्माण कार्य करने पर उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम,1973 की धारा 27 (1) एवं धारा–28 (1) के अधीन नोटिस जारी कर वाद संख्या सी–618/एस–1/2026 योजित किया गया। दिनांक 26.09 2026 की सुनवाई में आपके द्वारा पत्र प्रस्तुत किया गया कि यह जमीन टिहरी बांध निर्माण विस्थापन में मिली है जो निर्माण किया गया वह स्टोररूम एवं गैराज के रूप में किया जायेगा। तथा खतौनी की प्रति एवं कब्जा प्रमा पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी। आपके द्वारा प्रस्तुत जबाव सन्तोषजनक नहीं है। क्षेत्रीय अभियन्ता की रिपो दिनांक 07.10.2026 अनुसार निर्माण कार्य रूकवाने के बाद भी रोडवांडिंग तथा सैट प्रभावित करते हुए निर्मा किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकनोपरान्त अवैध निर्माण/विकास कार्य पर अंकुश लगाने चालानशुदा निर्माण को सील करने के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है।

तनवीर

## आदेश

विपक्षी श्री मयंक डोभाल, देहराखास, निकट पथरी बाग चौक, देहरादून द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूतल पर लगभग 25 गुणा 15 फिट क्षेत्र में 02 दुकानों का निर्माण कार्य करने पर उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम,1973 की धारा 27 (1) एवं धारा–28 (1) के अधीन नोटिस जारी कर वाद संख्या सी–618/एस–1/2026 योजित किया गया। दिनांक 26.09.2026 की सुनवाई में विपक्षी द्वारा पत्र प्रस्तुत किया गया कि यह जमीन टिहरी बांध निर्माण विस्थापन में मिली है, जो निर्माण किया गया वह स्टोररूम एवं गैराज के रूप में किया जायेगा। तथा खतौनी की प्रति एवं कब्जा प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी। विपक्षी द्वारा दुकान निर्माण के सम्बन्ध में सन्तोषजनक जबाव दिया नहीं दिया गया है। क्षेत्रीय अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक 07.10.2026 अनुसार निर्माण कार्य रूकवाने के बाद भी भवन के अग्रभाग रोडवांडिंग तथा सैट प्रभावित करते हुए निर्माण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में चालानशुदा निर्माण पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक हो गया है। तद्नुसार अनाधिकृत निर्माण के विरूद्व नियमानुसार सुसंगत धारा 28 (क) के अधीन सील करने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त अनाधिकृत निर्माण परिसर को प्राधिकरण द्वारा दिनाक 03-11-26.....को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

31/10/26

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

**प्रतिलिपि– 1**–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु थानाध्यक्ष, पटेल नगर, देहरादून को निदेर्शित करने का कष्ट करें।

2–नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) देहरादून के पत्र संख्या 1205/विविध–जेए/2024 दिनांक 07.011.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

3–सम्बन्धित थानाध्यक्ष, पटेल नगर देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4–सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

5–नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।